23

FILE NO. ____________

सुरक्षित प्रति

ग्राम पंचायत

+ खाता

म.प्र.

Arora

KOBRA FILE AK - 3200

श्रीमति रश्मि राय 234402 67644

कमिश्नर 2556916

2557120 , 9893421572

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

ग्राम पंचायत

(1) डिंडोरी प्रस्ताव

(2) लोक शक्ति योजना

प्रति,

माननीय कलेक्टर महोदय,

जिला– डिण्डोरी म0प्र0

विषय :– 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था योजना'।

संदर्भ :– आज [illegible] हुई वार्ता।

महोदय,

सनम्र निवेदन है कि आपके अपेक्षानुसार परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा एवं अब तक हुए प्रगति की संक्षिप्ति प्रेषित है।

यह सम्पूर्ण कार्यक्रम मध्यस्थ दर्शन (सह–अस्तित्ववाद) पर आधारित है इसके प्रणेता श्री ए. नागराज (अमरकंटक) हैं।

मध्यस्थ दर्शन भाग–1 मानव व्यवहार दर्शन की एक प्रति इस पत्र के साथ अवगाहन के लिए अर्पित है।

[illegible]

भवदीय

साधन

साधन भट्टाचार्य
(सदस्य कार्य समिति)
द्वारा श्री ए. नागराज
नर्मदा मंदिर के सामने अमरकंटक
07629–269407
9425344128

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था

(मध्यस्थ दर्शन, 'सह–अस्तित्व वाद' पर आधारित)

ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को देश में और मध्यप्रदेश में एक आवश्यकता के रूप में स्वीकारा गया है। इसकी अवधारणा, योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन फल परिणाम और मूल्यांकन को लेकर अनेक विचार, प्रस्ताव, प्रयास किये गये। परंतु इनमें संविधान राज्य सरकार और जन मानस की अपेक्षाओं की एकसूत्रता का अभाव बना रहता दिखता है।

मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्व वाद के आधार पर परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था की अवधारणा में उपरोक्त तीनों अपेक्षाओं की एकसूत्रता व उनका पूरा होना की संभावना स्पष्ट होती है।

इसी को केन्द्र में रखकर दिनांक 24 से 26 जुलाई 2003 के दौरान आयुक्त, पंचायत एवं समाज कल्याण, श्री मनोज [illegible] द्वारा श्रद्धेय ए. नागराज (प्रणेता मध्यस्थ दर्शन), उनके सहयोगी व पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस गोष्ठी में संविधान मानसिकता, शासन मानसिकता व आमजन मानसिकता के साम्य बिन्दु मिलन बिंदु पर चर्चा हुई। संविधान मानसिकता को समानता एवं सम्प्रदाय निरपेक्षता के रूप में पहचाना गया। राज्य शासन मानसिकता को पंचायत राज्य व ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को सफल बनाने के अर्थ में पहचाना गया। आमजन मानसिकता को समग्र सुविधा के स्थान पर समाधान, समृद्धि [illegible] पहचाना गया। इन तीनों मानसिकता के साम्य व मिलन बिन्दु को 'सह–अस्तित्ववादी' 'परिवार मूलक' ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में देखा गया। 'परिवार मूलक' ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में इन तीनों मानसिकता की अपेक्षाएं पूरी हो सकती है ऐसा स्पष्ट हुआ। इसी क्रम में '[illegible] योजना' का मूल एवं विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। (संलग्नक–1)

'परिवार मूलक' ग्राम स्वराज्य योजना के क्रियान्वयन के क्रम में सलाहकार समिति का गठन किया गया एवं कार्यसमिति की रूपरेखा तैयार की गई जिसमें दिव्य पथ संस्थान के

2–2 प्रतिनिधि होने का प्राविधान रखा गया। (संलग्नक–2 अ, ब, स)

इसी क्रम में एक कार्य समिति के गठन का भी प्रावधान है। यह गठन दिनांक 05.12. 2005 की बैठक में हुआ. इसके पदाधिकारियों के नाम निम्न है :–

दिव्य पथ संस्थान अनरकंटक से

1 श्री साधन भटटाचॉर्य

2 श्री सुशील सिंह

पचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय,मध्यप्रदेश

कमांक/पचा–6/2004/ 1922 भोपाल,दिनांक 13 दिसंबर 04

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–डिण्डौरी,
मध्यप्रदेश ।

विषय:– ग्राम स्वराज व्यवस्था विषयक ।

---0---

संस्थापक, दिव्यपथ संस्थान, अमरकटक, जिला शहडोल द्वारा सह अस्तित्वादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के कियान्वयन की कार्यवाही जिला डिंडौरी की एक या दो ग्राम पंचायतों मे करना चाहते हैं ।

2/ मध्यप्रदेश शासन, पचायत एवं सामाजिक न्याय द्वारा ज्ञापन कमांक एफ16–20/2003/प–2/22, दिनांक 24.7.03 से संबंधित संस्थान को कियान्वयन की सहमति दी है । सहज संदर्भ हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न है। पत्रानुसार जिला स्तर पर कार्य समिति का गठन भी किया जाना है, जिसमें निम्न होंगे :–

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
3	उप संचालक पंचायत	सदस्य
4	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य

3/ संस्थान के श्री साधन भट्टाचार्य आपसे संपर्क कर विस्तृत जानकारी देंगे । तदनुसार जिले की चुनिन्दा पंचायतों में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने की कार्यवाही कर अवगत करावें । संबंधित की दूरभाष कमांक 07629 269631 तथा 269407 है ।

आयुक्त
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,म0प्र0

पृ0 क0/पचा–6/2004/ 1923 भोपाल,दिनांक 13 दिसंबर 04

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय,मध्यप्रदेशभोपाल के पत्र कमांक 903/सीएमएस/ओपीआर/04, दिनांक 5.11.04 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. श्री साधन भट्टाचार्य, दिव्यपथ संस्थान, नर्मदा मंदिर नर्मदांचल, अमरकंटक, जिला अनुपपूर की ओर दिनांक 6.12.2004 को हुई चर्चा के संदर्भ में सूचनार्थ। कृपया कलेक्टर डिंडौरी से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें ।
3. उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला डिंडौरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,म0प्र0

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

संलग्नक - 2 (अ)

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय,भोपाल ।

क्रमांक/ [illegible] भोपाल,दिनांक 24.7.2005

प्रति

[illegible]
[illegible]
[illegible]
मध्यप्रदेश ।

विषय- परिवार मूलक ग्रामस्वराज [illegible]

सदर्भ- आपका पत्र दिनांक 30.7.2005

विषयान्तर्गत आपके पत्र के संदर्भ में सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था के क्रियान्वयन की सहमति निम्नानुसार दी जाती है :-

[illegible] ग्राम पंचायतों का [illegible] परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था को प्रमाणित किया जा सके

[illegible]

[illegible]

[illegible] समिति

1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	श्री श्याम [illegible]	सदस्य
5	श्री [illegible]	सदस्य

कार्य समिति :-

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
3	उपसंचालक पंचायत	सदस्य
4	[illegible] के दो प्रतिनिधि	सदस्य

कृपया उपरोक्तानुसार समितियों के लिए [illegible] के प्रतिनिधि [illegible]

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं समाज कल्याण

S PATHAK

संलग्नक 2(अ)

पंचायत एवं समाज कल्याण,संचालनालय,म0प्र0

क्रमांक/पंचा– 6/2003/2165 भोपाल,दिनांक 10-11-2003

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला–डिण्डोरी,
   मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत–डिण्डोरी,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः–परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था ।

परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के संदर्भ में दिनांक 13.11.2003 को आयोजित बैठक स्थगित की जाती है । बैठक की आगामी तिथि से पृथक से अवगत कराया जावेगा ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

पृ0क्रं/पंचा–6/2003/2166 भोपाल,दिनांक 10-11-2003

प्रतिलिपिः–

1. श्री ए.नागराज शर्मा,संस्थापक,[illegible] पथ संस्थान,नर्मदा मंदिर के सामने अमरकंटक,जिला शहडोल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री [illegible] की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. उप-संचालक/[illegible] कार्यालय,पंचायत एवं समाज कल्याण,जिला डिण्डोरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

Court-1 [illegible]

पत्राचार आख्यायें

1. 24.26 जुलाई 2003 पंचायत आयुक्त भोपाल श्री मनोज झासानी के साप पूज्य बाबाजी एवं सुरेन्द्र पाठक जी की गोष्ठी।
2. 24 जुलाई भोपाल में सलाहकार समिति का गठन एवं कार्य समिति की रूपरेखा
2ए. 10.11.2003 पंचायत विभाग द्वारा कलेक्टर डिण्डोरी एवं बाबाजी को पत्र
3. 07.10.2004 पंचायत मंत्री म0प्र0 शासन श्री, नरेन्द्र तोमर जी से पूज्य बाबा जी के भेंट
4. 30.10.2004 साधन जी द्वारा मा0 मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन को गति प्रदान करने हेतु पत्र
5. 05.11.2004 मुख्य मंत्री कार्यालय से डिण्डोरी में कार्य संपादन हेतु प्रमुख सचिव पंचायत विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु पत्र जारी।
6. 25.11.2004 साधन भटटाचार्य को पंचायत संचालनालय द्वारा पत्र में 02.12.2004 से 08.12.2004 के बीच बैठक तय
7. 13.12.2004 आयुक्त पंचायत द्वारा कलेक्टर एवं साधन जी को पत्र
8. 28.12.2004 साधन जी एवं सुशील द्वारा कलेक्टर डिण्डौरी से भेंट असफल
9. 15.05.2005 साधन जी की कलेक्टर डिण्डोरी की दूरभाष पर वार्ता 23.05.2005 को अमरकंटक में बाबाजी के साथ बैठक तय तथा बैठक सम्पन्न हुई।
10. 06.06.2005 डिण्डोरी कलेक्टर का पूज्य बाबा जी को पत्र
11. 21.06.2005 पू0 बाबा जी द्वारा डी. एम. डिण्डोरी का पत्र तथा 30.06.2005 में गाड़ासरई में बैठक तय।
12. 04.07.2005 30.06.2005 की बैठक नहीं हुई जो 22.07.2005 को होना तय हुआ तथा सम्पन्न हुई।
13. 23.07.2005 बाबाजी द्वारा कलेक्टर को पत्र (बैठक की समीक्षा)
14. 04.08.2005 डी.एम डिण्डोरी का पत्र सहर्ष अग्रिम सहयोग हेतु संकल्प व्यक्त तथा दूरभाष द्वारा 21.09.2005 को बैठक तय

15. 21.09.2005 बैठक स्थगित होने पर बाबाजी द्वारा अग्रिम बैठक हेतु डिण्डौरी कलेक्टर को पत्र
अभय पांडेय जी एवं साधन जी द्वारा ग्राम पांटन एवं कोंडिया का भ्रमण

16. 12.11.2005 डिण्डौरी कलेक्टर निवास पर अभय पांडेय जी एवं साधन एवं चंद्रशेखर जी की बातों 30.12.2005 डिण्डौरी में 3–5 अपरान्ह बैठक तय कलेक्टर डिण्डौरी द्वारा मीटिंग स्थगित तथा पुनः 05.12.2005 की तिथि तय।

17. 05.12.2005 को कलेक्टर सभा कक्ष में बैठक सम्पन्न कार्य समिति का गठन एवं तीन दिवसीय शिविर ग्राम कोंडिया में समिति के सदस्यों के मध्य होना तय तथा आवास व्यवस्था का आश्वासन

परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था

(मध्यस्थ दर्शन सह–अस्तित्ववाद पर आधारित प्रेणता व लेखक ए0नागराज, संस्थापक दिव्य पथ संस्थान)

ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को देश में और मध्यप्रदेश में एक आवश्यकता के रूप में स्वीकारा गया है। इसकी अवधारणा योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन, फल परिणाम व मूल्यांकन को लेकर अनेक विचार–गोष्ठी, प्रस्ताव व प्रयास किये गये। परंतु इनमें संविधान, राज्य सरकार और जनमानस की अपेक्षाओं की एकसूत्रता का व पूरा होने की संभावना का अभाव बना रहना दिखता है।

मध्यस्थ दर्शन 'सह–अस्तित्ववाद' के आधार पर 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' की अवधारणा में उपरोक्त तीनो अपेक्षाओं की एकसूत्रता व उनका पूरा होना की संभावना स्पष्ट हेाती है।

इसी को केन्द्र में रखकर 24 से 26 जुलाई 2003 के दौरान आयुक्त, पंचायत एवं समाज कल्याण, म0प्र0, श्री मनोज झालानी द्वारा श्रद्धेय ए0नागराज (प्रणेता मध्यस्थ दर्शन) उनके सहयोगी व पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक व विचार–गोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस गोष्ठी में सविधान मानसिकता, शासन मानसिकता व आमजन मानसिकता के साम्य बिन्दु, मिलन बिन्दु पर चर्चा हुई। संविधान मानसिकता को समानता एवं सम्प्रदायनिरपेक्षता के रूप में पहचाना गया। राज्य शासन मानसिकता को पंचायत राज्य व ग्राम स्वराज्य को सफल बनाने के अर्थ में पहचाना गया। आम जनमानसिकता को संग्रह–सुविधा के स्थान पर समाधान, समृद्धि के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता को पहचाना गया। इन तीनों मानसिकता के साम्य व मिलन बिन्दु को सह–अस्तित्ववादी 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यस्था' में देखा गया। 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' में इन तीनों मानसिकता की अपेक्षाएं पूरी हो सकती है, ऐसा स्पष्ट हुआ। इसी क्रम में 'लोक शक्ति योजना' व 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य योजना' का मूल व विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया (संलग्नक–1)।

'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य' योजना के क्रियान्वयन के क्रम में सलाहकार समिति का गठन किया गया एवं कार्य समिति की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें दिव्य पथ संस्थान के दो–दो प्रतिनिधि होने का प्राविधान रखा गया (संलग्नक–2)। इस आशय का पत्र आयुक्त पंचायत व जन कल्याण द्वारा श्रद्धेय ए0नागराज को दिनांक–24–07–2003 को भेजा गया।

परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को दो स्तरों पर लागू करने की सहमति बनी थी – 1. चयनित ग्रामों में

1. चयनित ग्रामों में–कुछ चयनित ग्रामों में ग्राम स्वराज्य के सभी आयामों (शिक्षा संस्कार,

(23) ग्राम पंचायत योजना - डिंडोरी जिल्ला_c

न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष स्वास्थ्य संयम) पर समझ का लोक व्यापीकरण एवं कार्य कार्य–व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करना।

2. राज्य स्तर पर–राज्य स्तर पर 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' योजना की अवधारणा व योजना कार्यक्रम में ग्राम सभा के सदस्यों अन्य संबंधित व्यक्तियों व अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।

चयनित ग्रामों में कार्यक्रम प्रारंभ करने की दृष्टि से डिंडोरी जिला जो अमरकंटक के निकट है, को प्रस्तावित किया गया। इस आशय से मा0आयुक्त द्वारा 13–11–2003 को एक बैठक निश्चित की गई जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित करनी पड़ी, (संलग्नक–3 आयुक्त का पत्र दिनांक–10–11–203)।

स्वराज्य व्यवस्था की आवश्यकता और क्रियान्वयन के संदर्भ में 1 अक्टूबर 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय उमा भारती व 07 अक्टूबर 2004 को पंचायत मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी से चर्चा हुई और दोनों ने इसकी सहमति व स्वीकृति श्रद्धेय ए0नागराज जी के सामने रखी। 30 अक्टूबर 2004 को (संलग्नक–4) साधन भट्टाचार्य ने क्रियान्वयन कार्य को गति देने की अपेक्षा से तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग को आगामी कार्यवाही के लिये पत्र लिखा (संलग्नक–5)।

आयुक्त पंचायत राज ने अपने पत्र दिनांक–25 नवम्बर 2004 (संलग्नक–6) द्वारा साधन जी को 2 से 8 दिसम्बर 2004 के बीच चर्चा के लिये आमंत्रित किया। आयुक्त ने कलेक्टर, डिंडोरी को भी इस आशय का पत्र लिखकर सूचित किया कि डिंडोरी जिला में कुछ गांवों को चयनित कर 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य योजना' के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करें (पत्र दिनांक–13–12–04 संलग्नक–7)। इस संदर्भ में 28–12–04 को कलेक्टर, डिंडोरी के साथ निर्धारित (साधन जी व सुशील जी की) बैठक हो नही पायी।

डिंडोरी जिला में ग्रामों के चयन के क्रम में अनुविभागीय अधिकारी बजाग तहसील ने कौड़िया व पाटन ग्राम को प्रस्तावित करते हुये 02–06–05 को कलेक्टर डिंडोरी को पत्र लिखा (संलग्नक–8)। ये गांव नर्मदा के किनारे बसे है और गाडासरई ब्लाक में आते है। यह कार्यवाही, कलेक्टर डिंडोरी श्री ए0के0 राय की अमरकंटक में श्रद्धेय ए0नागराजी जी के साथ हुई भेंट व चर्चा के फलस्वरूप हुई (दिनांक–23–05–05 संलग्नक–9 पत्र दिनांक–06–06–05)। अतः उक्त जानकारी को कलेक्टर द्वारा श्रद्धेय नागराज जी को उपलब्ध कराया गया (संलग्नक–9)।

इसी क्रम में गाड़ासरई में कलेक्टर द्वारा 30–06–05 को एक बैठक तय की गई जो स्थगित होकर 22 जुलाई 05 को संपन्न हुई जिसमें श्रृद्धेय बाबाजी के कलेक्टर ए0के0 राय, एस0डी0एम0 श्री बृजलाल मिश्रा आदि उपस्थित थे। ग्राम कौड़िया व पाटन के जनसंपर्क के दौरान कलेक्टर व एस0डी0एम0 ने जिस उत्साह वर्धन व धैर्य बंधाने का परिचय दिया वह प्रशंसनीय था। ग्रामवासियों ने भी 'परिवार मूलक स्वराज्य व्यस्था' में भागीदारी के

लिये उत्साह दिखाया। दोनों ग्रामों में 3–3 व्यक्ति ने प्रस्तावित सूची (प्रथम सूची चाहिये / नही चाहिये) के आधार पर प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी स्वीकारी।

सर्वेक्षण के लिये 4 संवाद सूची बनायी गई है (संलग्नक–10 से 13)।

प्रथम सूची–'स्वीकृति के लिये विकल्पात्मक बिन्दु' में सामान्य ग्रामवासियों को क्या स्वीकृत होता है, इसे तय करने के 9 बिन्दु प्रस्तुत किये गये, जिनसे सामान्य रूप से जन आकांक्षा की स्पष्टता होती है।

द्वितीय सूची–'विश्वास बिन्दु' में यह निश्चय करने की कोशिश की गई है कि क्या इन अपेक्षाओं को पूरा करने में हमें स्वयं में विश्वास है या नहीं (उपरोक्त–9 बिन्दुओं पर); अगर विश्वास नही है तो इससे 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' के आधारभूत सह–अस्तित्ववादी विचार के अध्ययन के आधार पर हर व्यक्ति में उपरोक्त 9 बिन्दुओं पर स्वयं में विश्वास बनने की संभावना समीचीन है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट होता है कि 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' के लिये शहरों की तुलना में ग्रामों में अनुकूलता अधिक है (संलग्नक–14 ग्राम अनुकूलता)।

तृतीय सूची–'सत्यापन सूची' में अध्ययन के आधार पर स्वयं में समाधान परिवार में समाधान, समृद्धि पूर्वक जीने का सत्यापन ग्राम–स्वराज्य व्यवस्था के पांचों आयामों में भागीदारी का सत्यापन (9 बिन्दू)।

चतुर्थ सूची–'संकल्प बिन्दू'–परिवार में समाधान, समृद्धि पूर्वक जीते हुये परिवार समूह सभा व ग्राम सभा में भागीदारी का संकल्प।

कलेक्टर डिंडोरी ने 'मध्यस्थ दर्शन' के प्रारंभिक अध्ययन के आधार पर इसकी महत्ता व संभावना को स्वीकारते हुये इस पर आधारित ग्राम स्वराज्य योजना में हर संभव सहयोग करने का उत्साह व संकल्प व्यक्त किया (संलग्नक–15 पत्र दिनांक–04–08–05)।

इसी क्रम में 12 नवम्बर 05 को कलेक्टर निवास डिंडोरी में अगली बैठक संपन्न हुई। जिसमें साधन भट्टाचार्य, अभय पाण्डे, चन्द्रशेखरू, कलेक्टर डिंडोरी आदि उपस्थित थे। इसमे कार्य समिति का गठन किया गया। जिसमें दिव्य पथ संस्थान की ओर से श्री अभय पांडे, साधन भट्टाचार्य, सुशील सिंह का नाम रखा गया (संलग्नक–16)।

अगली बैठक 05 जनवरी 2006 को श्रद्धेय बाबा नागराज जी के मार्गदर्शन में डिंडोरी कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। जिसमें कलेक्टर श्री ए0के0राय, एस0डी0एम0 बृजलाल मिश्रा, तहसीलदार जे0पी0 यादव आदि व दिव्य पथ संस्थान की ओर से सर्वश्रम् साधन भट्टाचार्य, सुशील सिंह, अंजनी अग्रवाल उपस्थित थे। इसमें बाबाजी ने प्रथम सूची, विकल्पात्मक बिन्दु स्वीकृति के लिये पर विस्तार से चर्चा रखी। माननीय कलेक्टर ने इन नौ बिन्दुओ को सर्व मानवोपयोगी, सम्प्रदायनिरपेक्ष व अत्यन्त व्यवहारिक बताते हुये सहमति व्यक्त की और पूर्ण सहयोग प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया। बाबाजी ने कार्यसमिति के सदस्यों के साथ तीन दिवसीय शिविर का प्रस्ताव रखा जिसे सभी ने स्वीकृति प्रदान की। इसका स्थान ग्राम कौड़िया निश्चित हुआ। 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' के महत् कार्य को संपन्न करने के लिये ग्राम कौड़िया में दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों के अंशकालिक

निवास के लिये आग्रह किया गया, जिसे दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों ने स्वीकृति दी। दिव्य पथ संस्थान के सदस्य श्री अभय पाण्डे को प्रोजेक्ट आफिसर के रूप में डिडोरी पदस्थ करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके लिये माननीय कलेक्टर ने म0प0 शासन को अनुशंसा करने की जिम्मेदारी स्वीकारी (संलग्नक–17 गोष्ठी कार्यवाही 5–1–6)।

इस क्रम में दिव्वयपथ संस्थान के कार्यकर्ताओं ने ग्राम कौड़िया के निवासीयों और कार्यसमिति के सदस्यों की एक बैठक बुलाने का निश्चय किया। माननीय कलेक्टर महोदय को इस आशय का पत्र साधन जी द्वारा भेजा गया (11/2 का पत्र संलग्नक–18)। जिससे 13–03–06 प्रातः 11 से 3 बजे बैठक की सूचना एंव निमंत्रण प्रस्तुत किया गया।

माननीय कलेक्टर श्री अशोक कुमार राय जी के स्थानांतरण के कारण बैठक स्थगित हो गई।

उन्नीस फरवरी 2006 को श्री साधन जी ने माननीय कलेक्टर श्री ई0रमेश कुमार जी से दूरभाष पर संपर्क कर मिलने का समय चाहा गया, जिससे श्रीमान को अब तक कार्य की सूचना एवं भविष्य की रूपरेखा बताई जा सके। श्रीमान कलेक्टर महोदय ने अगले ही दिन 20/02/06 दोहपर 1 बजे बैठक नियत की।

20 फरवरी को श्री साधन जी ने डिंडौरी कलेक्टर कार्यालय में उपस्थिति होकर कार्य की सूचना एंव भविष्य की रूपरेखा स्पष्ट की। इससे साथ लोकशक्ति परिवार मूलक स्वराज्य योजना का एक प्रति मानव व्यवहार दर्शन को एक प्रति, एवं एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर माननीय कलेक्टर महोदय से अवगायहन के पश्चात, सूचना देने का निर्देश दिया (संलग्नक–19)।

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय,भोपाल ।

कमांक/एफ–16–20/2003/पं.–2/22/ भोपाल,दिनांक 24.7.2003

प्रति,

संस्थापक,
दिव्य पथ संस्थान,
अमरकंटक,जिला–शहडोल,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था ।

संदर्भः–आपका पत्र दिनांक 30.7.2003

विषयान्तर्गत आपके पत्र के संदर्भ में सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था के कियान्वयन की सहमति निम्नानुसार दी जाती है :–

1. आपकी संस्था द्वारा सर्वेक्षण कर कुछ चुनिन्दा 2–3 ग्राम पंचायतों का चयन किया जायेगा जहाँ पर कि परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था को प्रमाणित किया जा सके ।

2. सम्पूर्ण कार्यवाही वर्तमान वैधानिक दायरे में की जायेगी ।

आपके प्रस्ताव अनुसार राज्य शासन ने निम्नानुसार 02 समितियों के गठन का निर्णय भी लिया है :–

सलाहकार समिति :–

1.	सचिव,पंचायत एवं समाज कल्याण	अध्यक्ष
2	आयुक्त,पंचायत एवं समाज कल्याण	सदस्य
3	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य
4	श्री श्याम बोहरे,ग्रामस्वराज संस्थान,पन्ना	सदस्य
5	श्री आमोद खन्ना,ताल संस्था	सदस्य

कार्य समिति :–

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
3.	उपसंचालक,पंचायत	सदस्य
4.	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य

कृपया उपरोक्तानुसार समितियो के लिये दिव्य पथ संस्थान के प्रतिनिधियों का नामांकन शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं समाज कल्याण,

S. BATHAM

[illegible]

कमांक / पंचा– 6 / [illegible] 2165 [illegible] 10-11-2003

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला–डिण्डोरी
   मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत–डिण्डोरी,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः–परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था ।

परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के संदर्भ मे दिनांक 13.11.2003 को आयोजित बैठक स्थगित की जाती है । बैठक की आगामी तिथि से पृथक से अवगत कराया जावेगा ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

पृ0क / पंच.–6 / 2003 / 2166 भोपाल,दिनांक 10-11-2003

प्रतिलिपिः–

1. श्री [illegible] शर्मा,संस्थापक,दिव्य पथ संस्थान,नर्मदा मंदिर के [illegible] जिला शहडोल को ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री [illegible] कानपुर को ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. [illegible] कार्यालय,पंचायत एवं समाज कल्याण,जिला डिण्डोरी को ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

Comt-1 10-Nov-0340

सं - 4

दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक

नर्मदा मंदिर के सामने, नर्मदा चक्र, अमरकंटक
जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश.
फोन: 07629-269407.

मानतीय मुख्यमंत्री महोदय
म०प्र० शासन
भोपाल.

संदर्भ: पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग क्रमांक / एफ-16-20/2003/पं-2/22
दिनांक 24.7.03 एवं क्रमांक पंचा-6/2003/2165

विषय: परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था।

मान्यवर,

सह-अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के क्रियान्वयन की सहमति पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री एवं सचिव व आयुक्त पंचायत एवं समाजकल्याण विभाग से अनेक स्तरों पर हुई गोष्ठियों के उपरांत उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमाभारती के अवगाहन में भी इस योजना को लाने के प्रयास किये गये। पंचायत मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर जी से भी विगत 7 अक्टूबर 2004 को श्रद्धेय ए. नागराज अमरकंटक प्रणेता सह-अस्तित्ववाद, मानव केंद्रित मध्यस्थदर्शन की भेंट भोपाल में जीवन विद्या के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन के दरम्यान हुई थी। माननीय गोविंदाचार्य जी उन्होंने आयुक्त महो. को निर्देशित किया था। भोपाल एवं अमरकंटक में श्रद्धेय बाबा जी से तीन दिन तक दर्शन के एवं योजना के विविध पक्षों पर चर्चा की थी।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसके क्रियान्वयन के लिये एवं तीव्रता के लिये आदेशित करने की विशेष कृपा करेंगे। श्रद्धेय बाबा जी ए. नागराज जी की इस संबंध में आपसे चर्चा करने की भी इच्छा है। आपके समय की प्रतीक्षा रहेगी।

भवदीय

साधन

(साधन भट्टाचार्य)
दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक.

30/10/04

मुख्य मंत्री कार्यालय
मध्य प्रदेश

क्र.:903/CMS/OPR/2004 भोपाल, दिनांक: 05/11/2004

प्रति,

श्री साधन भट्टचार्य,
दिव्य पथ संस्थान,नर्मदा मंदिर
के सामने नर्मदा चल अंमरकंटक
जिला अनुपपुर म.प्र.

विषय :परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था.

उपरोक्त विषयक मान.मुख्यमंत्रीजी को प्रेषित पत्र/टीप दि.30/10/2004 प्राप्त हुआ. उक्त पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत और ग्रामीण विभाग को आगामी कार्यवाही के लिए इस कार्यालय के जावक क्र.903/CMS/OPR/2004 दि.05/11/2004 द्वारा प्रेषित किया गया है.

अवर सचिव
मुख्यमंत्री

पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय,म0प्र0
तुलसीनगर (1250)भोपाल

क्रमांक/पंचा06/16/2004/17-91 भोपाल,दिनांक25नवम्बर 04
प्रति,

श्री साधन भट्टाचार्य,
दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक,
नर्मदा मंदिर के सामने,नर्मदांचल अमरकंटक
जिला अनुपपुर मध्यप्रदेश

विषयः– परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था ।
संदर्भ– माननीय मुख्यमंत्रीजी को संबोधित आपका पत्र दिनांक 30.10.04

---0---

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए । परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के संबंध में आपने चर्चा हेतु समय चाहा है कृपया दिनांक 2.12.04 से 8.12.04 के मध्य आयुक्त पंचायत एवं सामाजिक न्याय से उनके कार्यालय में समक्ष में आकर पूरे विषय पर चर्चा करें । कृपया आने से पूर्व फोन पर समय तय करने का कष्ट करें । (फोन नम्बर 95755–2556916)

(आयुक्त द्वारा आदेशित)

उप संचालक,(पंचा0)
वास्ते–आयुक्त,
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,
मध्यप्रदेश

पचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय,मध्यप्रदेश

कमांक/पंचा–6/2004/ 1922 भोपाल,दिनांक 13 दिसंबर 04

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–डिण्डौरी,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– ग्राम स्वराज व्यवस्था विषयक ।

––0––

संस्थापक, दिव्यपथ संस्थान, अमरकंटक, जिला शहडोल द्वारा सह अस्तित्वादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के कियान्वयन की कार्यवाही जिला डिंडौरी की एक या दो ग्राम पंचायतों में करना चाहते हैं ।

2/ मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं सामाजिक न्याय द्वारा ज्ञापन कमांक/एफ16–20/2003/पं–2/22, दिनांक 24.7.03 से संबंधित संस्थान को कियान्वयन की सहमति दी है । सहज संदर्भ हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न है। पत्रानुसार जिला स्र पर कार्य समिति का गठन भी किया जाना है, जिसमें निम्न होंगे :–

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
3	उप संचालक पंचायत	सदस्य
4	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य

3/ संस्थान के श्री साधन भट्टाचार्य आपसे संपर्क कर विस्तृत जानकारी देंगें । तद्नुसार जिले की चुनिन्दा पंचायतों में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने की कार्यवाही कर अवगत करावें । संबंधित को दूरभाष कमांक 07629 269631 तथा 269407 है ।

आयुक्त
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,म0प्र0

पृ0 कं0/पंचा–6/2004/ 1923 भोपाल,दिनांक13 दिसंबर 04

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय,मध्यप्रदेशभोपाल के पत्र कमांक 903/सीएमएस/ओपीआर/04, दिनांक 5.11.04 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. श्री साधन भट्टाचार्य, दिव्यपथ संस्थान, नर्मदा मंदिर नर्मदांचल, अमरकंटक, जिला अनुपपूर की ओर दिनांक 6.12.2004 को हुई चर्चा के संदर्भ में सूचनार्थ। कृपया कलेक्टर डिंडौरी से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें ।
3. उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला डिंडौरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,म0प्र0

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग

क्रंमाक /क्यूं/रा. नि. /2005 दिनॉक 2/6/2005

प्रति,

माननीय श्री कलेक्टर महोदय डिण्डौरी

द्वारा :– श्री मान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) डिण्डौरी

बिषयः– ग्रामो की जानकारी के संबध में

सदर्भ :– दिनॉक 25/5/2005 की राजस्व अधिकारीयों की बैठक की दौरान दिये मौखिक निर्देश के क्रम में

आदरणीय महोदय,

संदर्भित निर्देश के परिपालन में राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग तहसील व जिला डिण्डौरी के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्देशित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निम्न दो ग्राम प्रस्तावित है ।

1. ग्राम कौड़िया प.ह.नं. 82 :– श्री नर्मदा जी (नदी) के किनारे है, 5 टोलो के रूप में बसाहट है, इस ग्राम में क्रंमशः 4 धर के अहीर जाति के,10 धर के पनिका जाति के, 1धर लोहार जाति का है एंव शेष लगभग 200 परिवार / धर गोंड जाति के है। ग्राम की मिट्टी (लगभग) 70 प्रतिशत काली उपजाऊ है, 30 प्रतिशत भूमि बर्रा किश्म की भूमि है । ग्राम में विधुत लाईन एंव कुछ धरो में विधुत कनेक्शन है यह ग्राम गाड़ासरई से डिण्डौरी मार्ग पर खरगहना ग्राम से 6 कि. मी. उत्तर दिशा की ओर नदी के किनारे है, गाड़ासरई से कुल दूरी 18 कि. मी. है । किसी भी वाहन से ग्राम तक सुगमता से पहुँचा जा सकता है डूब के अन्तर्गत ग्राम नही आता ।ग्राम में 232 छोटे बडें खातेदार है इनमें से कुछ ग्राम के बाहर निवास करते है ।

2. ग्राम पाटन प.ह.नं. 97 :– यह ग्राम भी श्री नर्मदा जी (नदी) से लगा है /किनारे है, 2टोलो केरूप में मुख्य बसाहट है, बसाहट नदी से लगभग एक डेढ़ किलोमीटर दूरी पर है । नदी के किनारे खेती की भूमि है, इस ग्राम में सहीस जाति के 1धर, पनिका जाति के 3 धर, अहीर जाति के 8 – 10 धर शेष लगभग 150 धर/परिवार गोंड़ जाति के है । ग्राम की लगभग 70 प्रतिशत मिट्टी काली उपजाऊ है शेष 30 प्रतिशत मिट्टी बर्रा है जिसमें भी खेती होती है । ग्राम में विधुत लाईन एंव कुछ धरो में विधुत कनेक्सन है । यह ग्राम गाडासरई से उत्तर – पूर्व की दिशा में नदी के किनारे गाड़ासरई से इस ग्राम की दूरी 6 कि.मी. हैं । गाड़ासरई से इस ग्राम में मोटर साईकिल, जीप, ट्रेक्टर, ट्रक ,से पहुचा जा सकता है । गाड़ासरई से ग्राम तक सडक है पर मरम्मत न होने से कुछ जगह उबड़ खाबड़ हो गये है । यह ग्राम डूब के अंतर्गत नही आता है ।ग्राम में 154 छोटे बडे कृषक खाते दार है इनमें से कुछ ग्राम से बाहर निवास करते हैं ।

सादर ।

एस.एल.बर्मन

राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग

कार्यालय कलेक्टर डिण्डोरी

क्रमांक/विकास/2005/ 3167 डिण्डोरी दिनांक 6 जून 2005

प्रति

आदरणीय श्री नागराज जी महाराज
नर्मदा उद्‌गम परिसर के पास
अमरकंटक जिला अनूपपुर

विषय:- ग्रामों के समग्र विकास योजना अन्तर्गत ग्रामों के चयन संबंधी जानकारी ।

महोदय

विषयांकित में स्मरण होगा कि दिनांक 23.5.2005 को अमरकंटक प्रवास के दौरान हुई चर्चा के अनुरूप मेरे द्वारा अधिनस्थ राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपकी वांछा अनुसार दो ग्रामों के चयन हेतु निर्देशित किया गया था, तद्नुसार क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक बजाग के द्वारा ग्राम चयन संबंधी जानकारी दी गयी है, जो मूलतः संलग्न है । जानकारी प्राप्त होने के उपरांत कृपया इन ग्रामों में लागू होने वाली योजनाओं के संबंध मे अवगत कराने का कष्ट करें ।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार

कलेक्टर
डिण्डोरी

अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के आधार पर
परिवार मूलक ग्राम-मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था के संदर्भ में

प्रथम संवाद सूचि
(स्वीकृति के लिए विकल्पात्मक बिंदु)

संग्रह-सुविधा के विकल्प में समाधान-समृद्धि संपन्न होना	चाहिये	नहीं चाहिये
स्वयं में विश्वास, परस्परता में विश्वास सहित मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक जीना	चाहिये	नहीं चाहिये
परिवार व ग्राम में परस्पर संबंध निर्वाह होना	चाहिये	नहीं चाहिये
सदा-सदा संबंधों में विश्वास निर्वाह होना	चाहिये	नहीं चाहिये
समझदारी व श्रम सहित ग्राम व्यवस्था में भागीदारी करना	चाहिये	नहीं चाहिये
सभी नर-नारियों के सहमति पूर्वक ग्राम व्यवस्था में, से, के लिए जिम्मेदार होना	चाहिये	नहीं चाहिये
सभी ग्रामवासियों की परस्परता में जाति, पद, धन के आधार पर अपना-पराया का दीवार मिटाना	चाहिये	नहीं चाहिये
सभी ग्रामवासी श्रमशीलता में दृढ़ता बनाए रखते हुए सभी प्रकार के समाधान के लिए समझदारी संपन्न होना	चाहिये	नहीं चाहिये
समझदारी से समाधान, श्रमपूर्वक समृद्धि होने में विश्वास (भरोसा) होना	चाहिये	नहीं चाहिये

अस्तित्व मूलक मानव केन्द्रित चिंतन के आधार पर
~~ग्राम मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था स्थापित होने के संदर्भ में~~

द्वितीय ~~सूचि~~ संवाद सूचि
(विश्वास बिंदु)

हर परिवार समझदारी सहित समाधान-समृद्धि पूर्वक जीने में विश्वास	है	नही है
मानवीयतापूर्ण आचरण सहित जीने देने व जीने में विश्वास	है	नही है
परिवार में, पूरा ग्राम में संबंध को निर्वाह करने में विश्वास	है	नही है
ग्राम मे जितने भी परिवार हैं, उनके साथ जीने में विश्वास	है	नही है
परिवार में समाधान - समृद्धि पूर्वक जीने और ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी करने में विश्वास	है	नही है
हर परिवार में, हर नर - नारी में से एक सदस्य ग्राम स्वराज्य व्यवस्था मे भागीदारी ~~करने में विश्वास~~	है	नही है
ग्राम में हर परिवार, हर परिवार में हर सदस्य मानव व मानवीयता के आधार पर पहचानने व निर्वाह करने में विश्वास	है	नही है
पूरे ग्रामवासियों में समझदारी - श्रमशीलता सहित समाधान - समृद्धि सहज प्रमाण प्रस्तुत करने में विश्वास	है	नही है
ग्राम के सभी परिवारों में हर नर-नारी समझदारी पूर्वक ही समाधान, श्रम पूर्वक ही समृद्धि संपन्न होने में विश्वास	है	नही है

~~अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के~~ आधार पर
परिवार मूलक ग्राम-मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था के संदर्भ में

तृतीय संवाद सूचि
(सत्यापन बिंदु)

हम परिवार समाधान-समृद्धि पूर्वक जीने का — सत्यापन

हम स्वयं में विश्वास करने, श्रेष्ठता का सम्मान करने, प्रतिभा व व्यक्तित्व में संतुलन सहज प्रमाण प्रस्तुत करने, व्यवहार में सामाजिकता व उत्पादन में स्वावलंबन प्रमाणित करने का — सत्यापन

हर परिवार में सभी संबंधों व मूल्यों का निर्वाह करने और परिवार सभा, परिवार समूह सभा, ग्राम परिवार सभा में भागीदारी करने का — सत्यापन

परिवार संबंधों में मानवीयता सहित मानव संस्कृति-सभ्यता सहज निर्वाह करने का — सत्यापन

परिवारों और सभाओं में विधि-व्यवस्था में निर्वाह रूप में भागीदारी करने का — सत्यापन

मानवीय शिक्षा-संस्कार, न्याय-सुरक्षा सुलभ होने में भागीदारी करने का — सत्यापन

उत्पादन कार्य, विनिमय कोष कार्य सहज सुलभ होने में भागीदारी करने का — सत्यापन

स्वास्थ्य संयम कार्य सहज सुलभ होने में भागीदारी करने का — सत्यापन

हर परिवार में समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि संपन्न होने का — सत्यापन

स - 13

अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के आधार पर
परिवार मूलक ग्राम मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था स्थापित होने के संदर्भ में

चतुर्थ सूचि

(संकल्प बिन्दु)

हम परिवार में समाधान - समृद्धि पूर्वक न्याय - व्यवस्था में जीने का	संकल्प
समाधान - समृद्धि सहित जीता हुआ दश परिवार से निर्वाचित दस सदस्यीय परिवार समूह सभा में न्याय पूर्वक जीते हुए, उत्पादित वस्तुओं का उपयोगिता मूल्य के आधार पर मूल्यांकन विनिमय सहित, मानवीयतापूर्ण आचरण व्यवहार करने का	संकल्प
दश परिवार समूह सभा में से निर्वाचित दश सदस्यीय ग्राम सभा में आपसी व्यवस्था सहज विधि से जीने का	संकल्प

ग्राम अनुकूलता

1- ग्राम में निवास करने वाले व्यक्ति सीमित एवं निश्चित हैं।

2- सभी ग्रामवासी एक दूसरे को पहचानते हैं।

3- सभी ग्रामवासी एक दूसरे से सम्बन्ध को सम्बोधित करते हैं तथा सम्बन्ध को पहचान सकते हैं।

4- बाहरी परिवेश का प्रभाव व दबाव कम है।

5- कार्य एवं व्यवहार (पानी, बिजली, व्यवसाय के कार्य) में स्वतंत्रता ज्यादा है।

6- आवास के लिये स्थान, शुद्ध वायु, स्वच्छ परिवेश (प्रदूषण रहित) संभावित है।

7- आहार उत्पादन के लिये अनुकूलता है।

8- उत्पादन के लिये अवसर व संसाधन स्वाधीन है।

9- स्वास्थ्य के लिये अनुकूलता है।

10- बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने की संभावना है।

11- ग्राम व्यवस्था को स्वयंस्फूर्त विधि से संचालित कर सकते हैं।

12- ईंधन एवं ऊर्जा संतुलन की संभावना है।

13- ग्राम स्वायत्त एवं समृद्ध होने की संभावना है।

14- प्रत्येक परिवार स्वायत्त एवं समृद्ध होने की संभावना है।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अशोक कुमार राय
(आई. ए. एस.)
कलेक्टर
एवं
जिला दण्डाधिकारी
जिला-डिण्डौरी (म.प्र.)

(07644)234174 - दूरभाष (कार्या.)
234175 - (निवास)
07644-234166 - फैक्स
कार्यालय कलेक्टर, जिला-डिण्डौरी
अर्धशासकीय पत्र क्र./
दिनांक

परम् श्रद्धेय,

अत्यंत आदर सहित अभिवादन।

आपका पत्र दिनांक 23.07.2005 प्राप्त हुआ। आपके आशीष अभिसिंचन से मेरे हृदय में अपार खुशी हुई है। कृपया पत्र में उल्लेख की गयी कार्ययोजना भेजने का कष्ट करें। आपकी इस सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्ति के सर्वांग विकास की योजना में मुझे पूर्ण सहयोग करके आत्मसंतोष प्राप्त होगा।

आपके द्वारा भेजी गयी दो पुस्तकें "मानव व्यवहार दर्शन" एवं "जीवन विद्या एक परिचय" प्राप्त हो गयी हैं। इनके संक्षिप्त अध्ययन से ही आपके प्रति अपार श्रद्धा व प्रेम की जो अनुभूति हुई है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

मैं यदि आपके चिंतन, दर्शन और व्यक्ति विकास एवं ग्राम सुराज की अवधारणा के संदर्भ में जितना भी सहयोग कर सकूँ, वह बहुत थोड़ा ही होगा।

कृपया अपने स्नेह और आशीर्वाद से अभिसिंचित करते रहें तो आपकी अपार कृपा होगी।

पुन: अत्यंत आदर!

भवदीय

4.8.05

(अशोक कुमार राय)

प्रति,

परम् आद. श्री ए. नागराज शर्मा जी
प्रणेता मध्यस्थ दर्शन (सह-अस्तित्ववाद)
श्री भजनाश्रम, नर्मदा मंदिर के सामने
अमरकण्टक (म.प्र.)

गोष्ठी दिनांक 12/11/05, स्थान - कलेक्टर निवास, डिंडोरी समय अपरान्ह

उपस्थित सदस्य 1. श्री अशोक कुमार राय कलेक्टर
2. श्री अभय पाण्डेय, सहा. कारकाना,
3. श्री साधन भट्टाचार्य दिव्य पथ संस्थान, सदस्य
4. श्री चन्द्रशेखर सिंह —॥—

परस्पर परिचय के उपरान्त कार्यगोष्ठी के लिए स्थान का चुनाव पर चर्चा हुई माननीय कलेक्टर महोदय ने 30/12/05 को डिंडोरी कलेक्टरेट में बैठक का सुझाव दिया समय 3 से 5 अपराह्न। जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार किया।

कार्य समिति के गठन के मुद्दे पर माननीय कलेक्टर महोदय ने निम्न शासकीय सदस्यों का नाम प्रस्तावित किया

1. श्री अशोक कुमार राय	कलेक्टर
2. श्री बृजलाल मिश्रा	एस डी एम
3. श्री जे. पी. यादव	तहसीलदार
4. श्री राकेश कुमार	नायब तहसीलदार
5. श्री डी. आर. परमार	CEO बजाग
6. श्री जे. एल. धुर्वे	RI
7. श्री सर्वनलाल वर्मा	RI

दिव्यपथ संस्थान की ओर से श्री साधन भट्टाचार्य ने निम्न सदस्यों के नाम प्रस्तावित किये

1. श्री अभय पाण्डेय
2. श्री साधन भट्टाचार्य
3. श्री सुशील सिंह

जिसे सभी व्यक्तियों ने स्वीकार किया एवं सहमत हुए।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

आज दि० 05.01.2006, स्थान- डिंडोरी कलेक्ट्रेट सभागृह

सन्दर्भ - परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था हेतु

यह गोष्ठी पूज्य बाबा श्री ए. नागराज जी संस्थापक दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक के मार्ग दर्शन में सम्पन्न हुयी। जिसमें कार्य समिति के निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

1- श्री अशोक कुमार ... कलेक्टर डिंडोरी
2- " बृजलाल मिश्रा एस.डी.एम "
3. " जे. पी. यादव तहसील दार "
4. " राकेश कुमार नायब तहसीलदार "
5- " डी. आर. परमार C.E.O जनपद
6- " जे. एस. धुर्वे RI करंजिया
7- " सर्वनलाल ... RI

दिव्य पथ संस्थान की ओर से श्री साधन भट्टाचार्य, श्री सुशील सिंह एवं श्री अंजनी अग्रवाल उपस्थित रहे। दोनों ग्राम के सरपंच एवं दिव्य पथ संस्थान से अभय पांडेय उपस्थित नहीं हो सके।

सर्व प्रथम सभी उपस्थित सदस्यों का परिचय हुआ तत्पश्चात पूज्य बाबाजी ने प्रथम विश्वास बिन्दु पर चर्चा प्रारम्भ की और विस्तार से पुनः समझाया

माननीय कलेक्टर महोदय ने इन नौ विश्वास बिन्दुओं को सर्व मानवोपयोगी धर्म निरपेक्ष एवं अत्यन्त व्यवहारिक बताते हुये स्नेह पूर्ण सहमति एवं पूर्ण सहयोग प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया।

श्री बृजलाल मिश्रा जी ने भी उक्त चर्चा पर अपनी सहमति जतायी एवं क्रमशः उपस्थित सदस्यों ने अपनी स्वीकृति एवं भागीदारी का आश्वासन दिया।

पूज्य बाबाजी ने कार्य समिति के सदस्यों के साथ तीन दिवसीय शिविर का प्रस्ताव रखा जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकृति प्रदान की। कलेक्टर महोदय ने शिविर स्थली ग्राम कौडिया सुझायी जिसे कार्य समिति ने स्वीकार किया

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

क्रमशः -

विश्लेषण के समय एवं विवरण निश्चयन को ... साधन जी को दी गयी जिसे निश्चित कर सूचना प्रेषित समय पर प्रेषित करेंगें।

उपरोक्त महत् कार्य को सम्पन्न करने के लिये ग्राम कौडिया में दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों के अंश कालिक निवास हेतु आवश्यकता पर बल दिया गया जिसे दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों ने सहमति दी। इसपर एस डी एम श्री मिश्रा जी ने आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली। कौडिया निवासी श्री जे. एस धुर्वे ने प्रारम्भिक अवलोकन कर सूचित करने की जिम्मेदारी ली।

दिव्य पथ संस्थान के सदस्य श्री अभय पांडेय को प्रोजेक्ट आफीसर के रूप में डिंडोरी में पदस्थ करने का सुझाव पूज्य बाबाजी ने दिया। माननीय कलेक्टर महोदय ने म. प्र. शासन को अनुसंशा करने की जिम्मेदारी स्वीकारी तथा अभय पांडेय जी से सहमतिपत्र की आवश्यकता बतायी जिसे साधन जी ने प्राप्त करने का दायित्व स्वीकारा।

प्रति,

माननीय कलेक्टर महोदय,

जिला– डिण्डोरी म0प्र0

विषय :– 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था योजना'।

संदर्भ :– आज 20.02.2006 श्रीमान से हुई वार्ता।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि आपके अपेक्षानुसार परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा एवं अब तक हुए प्रगति की संक्षिप्ति प्रेषित है।

यह सम्पूर्ण कार्यक्रम मध्यस्थ दर्शन (सह–अस्तित्ववाद) पर आधारित [illegible] है।

मध्यस्थ दर्शन मानव व्यवहार दर्शन की एक प्रति इस पत्र के साथ अवलोकन के लिए अर्पित है।

धन्यवाद !

भवदीय

साधन

साधन भट्टाचार्य
(सदस्य कार्य समिति)
द्वारा श्री ए. नागराज
नर्मदा मंदिर के सामने अमरकंटक
07629–269407
9425344128

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था

(मध्यस्थ दर्शन, 'सह–अस्तित्व वाद' पर आधारित)

ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को देश में और मध्यप्रदेश में एक आवश्यकता के रूप में स्वीकारा गया है। इसकी अवधारणा, योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन फल परिणाम और मूल्यांकन को लेकर अनेक विचार, प्रस्ताव, प्रयास किये गये। परंतु इनमें संविधान राज्य सरकार और जन मानस की अपेक्षाओं की एकसूत्रता का अभाव बना रहता दिखता है।

मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्व वाद के आधार पर परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था की अवधारणा में उपरोक्त तीनों अपेक्षाओं की एकसूत्रता व उनका पूरा होने की संभावना स्पष्ट होती है।

इसी को केन्द्र में रखते हुए 24 से 26 जुलाई 2003 के दौरान आयुक्त, पंचायत एवं समाज कल्याण, श्री मनोज झालानी द्वारा श्रद्धेय ए० नागराज (प्रणेता मध्यस्थ दर्शन), उनके सहयोगी व पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस गोष्ठी में संविधान मानसिकता, शासन मानसिकता व आमजन मानसिकता के साम्य बिन्दु मिलन बिंदु पर चर्चा हुई। संविधान मानसिकता को समानता एवं सम्प्रदाय निरपेक्षता के रूप में पहचाना गया। राज्य शासन मानसिकता को पंचायत राज्य व ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को सफल [illegible] सुविधा के रूप में [illegible] समाधान, [illegible] के रूप में पहचाना गया। इन तीनों मानसिकता के साम्य व मिलन बिंदु को सह–अस्तित्ववादी परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में देखा गया। 'परिवार मूलक' ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में इन तीनों मानसिकता की अपेक्षाएं पूरी हो सकती है ऐसा स्पष्ट हुआ। इसी के क्रम में लोक शक्ति योजना का मूल एवं विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। (संलग्नक–1)

'परिवार मूलक' ग्राम स्वराज्य योजना के क्रियान्वयन के क्रम में सलाहकार समिति का गठन किया गया एवं कार्यक्रमों [illegible] की गई जिसमें दिव्य पथ संस्थान [illegible]

2–2 प्रतिनिधि होने का प्राविधान रखा गया। (संलग्नक–2 अ, ब, स)

इसी क्रम में एक कार्य समिति के गठन का भी प्रावधान है। यह गठन दिनांक 05.12. 2005 की बैठक में हुआ. इसके पदाधिकारियों के नाम निम्न है :–

दिव्य पथ सस्थान अमरकंटक से

1. श्री साधन भट्टाचार्य
2. श्री सुशील सिह
3. श्री अंजनी अग्रवाल
4. श्री अभय पाण्डेय

पचायत एव सामाजिक न्याय संचालनालय,मध्यप्रदेश

कमांक / पचा–6 / 2004 / 1922 भोपाल,दिनांक 13 दिसंबर 04

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–डिण्डौरी,
मध्यप्रदेश ।

विषय:– ग्राम स्वराज व्यवस्था विषयक ।

---0---

संस्थापक, दिव्यपथ संस्थान अमरकंटक, जिला शहडोल द्वारा स... अस्तित्वादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के कियान्वयन की कार्यवाही जिला डिंडौरी की एक या दो ग्राम पंचायतो मे करना चाहते हैं ।

2/ मध्यप्रदेश शासन, पचायत एव सामाजिक न्याय द्वारा ज्ञापन कमांक/ एफ16–20 / 2003 / प–2 / 22, दिनांक 24.7.03 से संबंधित संस्थान को कियान्वयन की सहमति दी हैं । सहज संदर्भ हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न है। पत्रानुसार जिला स्तर पर कार्य समिति का गठन भी किया जाना हैं, जिसमें निम्न होंगे :–

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
3	उप संचालक पचायत	सदस्य
4	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य

3/ संस्थान के श्री साधन भट्टाचार्य आपसे संपर्क कर विस्तृत जानकारी देंगे तद्नुसार जिले की चुनिन्दा पंचायतों मे कार्यकम की रूपरेखा तैयार करने की कार्यवाही कर अवगत करावे । संबंधित का दूरभाष कमांक 07629 269631 तथा 269407 हैं

आयुक्त
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,म०प्र०

पृ० क० / पचा–6 / 2004 / 1923 भोपाल,दिनांक 13 दिसंबर 04

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय,मध्यप्रदेशभोपाल के पत्र कमांक 903 / सीएमएस / ओपीआर / 04, दिनांक 5.11.04 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. श्री साधन भट्टाचार्य, दिव्यपथ संस्थान, नर्मदा मंदिर नर्मदांचल, अमरकंटक, जिला अनुपपूर की ओर दिनांक 6.12.2004 को हुई चर्चा के संदर्भ में सूचनार्थ। कृपया कलेक्टर डिंडौरी से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें ।
3. उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला डिंडौरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,म०प्र०

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

संलग्नक - 2 (अ)

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय,भोपाल ।

क्रमांक / एफ 16-21/2003/[illegible] 2/22/ भोपाल,दिनांक 24.7.2003

प्रति,

संस्थापक,
[illegible] संस्थान
[illegible]
मध्यप्रदेश ।

विषय:- परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था [illegible]

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 30.7.2003

विषयान्तर्गत आपके पत्र के संदर्भ में सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था के क्रियान्वयन की सहमति निम्नानुसार दी जाती है:-

1. [illegible]

2. [illegible]

[illegible]

[illegible] समिति :-

1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	श्री श्याम [illegible] ग्रामस्वराज संस्थान,[illegible]	सदस्य
5	श्री आमोद [illegible] संस्था	सदस्य

कार्य समिति :-

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
3	[illegible]	सदस्य
4	[illegible] संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य

कृपया उपरोक्तानुसार समितियों के लिये [illegible] संस्थान के प्रतिनिधि [illegible] करने का कष्ट करें ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं समाज कल्याण

S.PATHAN

संलग्नक 2(अ)

पंचायत एवं समाज कल्याण,संचालनालय,म0प्र0

क्रमांक/पंचा– 6/2003/2165 भोपाल,दिनांक 10-11-2003

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला–डिण्डोरी
   मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत–डिण्डोरी
   मध्यप्रदेश ।

विषयः–परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था ।

परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के संदर्भ में दिनांक 13.11.2003 को आयोजित बैठक स्थगित की जाती है । बैठक की आगामी तिथि से पृथक से अवगत कराया जावेगा ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

पृ0क्रं/पंचा–6/2003/2166 भोपाल,दिनांक 10-11-2003

प्रतिलिपिः–

1. श्री ए.नागराज [illegible] संस्थान,नर्मदा मंदिर के सामने [illegible] की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री [illegible] की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. उप–संचालक [illegible] कार्यालय,पंचायत एवं समाज कल्याण,जिला डिण्डोरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

Conit-1 [illegible]

पत्राचार आख्यायें

1. 24.26 जुलाई 2003 पंचायत आयुक्त भोपाल श्री मनोज झासानी के साप पूज्य बाबाजी एवं सुरेन्द्र पाठक जी की गोष्ठी।

2. 24 जुलाई भोपाल में सलाहकार समिति का गठन एवं कार्य समिति की रूपरेखा

2ए. 10.11.2003 पंचायत विभाग द्वारा कलेक्टर डिण्डोरी एवं बाबाजी को पत्र

3. 07.10.2004 पंचायत मंत्री म0प्र0 शासन श्री,नरेन्द्र तोमर जी से पूज्य बाबा जी के भेंट

4. 30.10.2004 साधन जी द्वारा मा0 मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन को गति प्रदान करने हेतु पत्र

5. 05.11.2004 मुख्य मंत्री कार्यालय से डिण्डोरी में कार्य संपादन हेतु प्रमुख सचिव पंचायत विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु पत्र जारी।

6. 25.11.2004 साधन भट्टाचार्य को पंचायत संचालनालय द्वारा पत्र में 02.12.2004 से 08.12.2004 के बीच बैठक तय

7. 13.12.2004 आयुक्त पंचायत द्वारा कलेक्टर एवं साधन जी को पत्र

8. 28.12.2004 साधन जी एवं सुशील द्वारा कलेक्टर डिण्डोरी से भेंट असफल

9. 15.05.2005 साधन जी की कलेक्टर डिण्डोरी की दूरभाष पर वार्ता 23.05.2005 को अमरकंटक में बाबाजी के साथ बैठक तय तथा बैठक सम्पन्न हुई।

10. 06.06.2005 डिण्डोरी कलेक्टर का पूज्य बाबा जी को पत्र

11. 21.06.2005 पू0 बाबा जी द्वारा डी. एम. डिण्डोरी को पत्र तथा 30.06.2005 में गाड़ासरई में बैठक तय।

12. 04.07.2005 30.06.2005 की बैठक नहीं हुई जो 22.07.2005 को होना तय हुआ तथा सम्पन्न हुई।

13. 23.07.2005 बाबाजी द्वारा कलेक्टर को पत्र (बैठक की समीक्षा)

14. 04.08.2005 डीएम डिण्डोरी का पत्र सहर्ष अग्रिम सहयोग हेतु संकल्प व्यक्त तथा दूरभाष द्वारा 21.09.2005 की बैठक तय

15. 21.09.2005 बैठक स्थगित होने पर बाबाजी द्वारा अग्रिम बैठक हेतु डिण्डौरी कलेक्टर को पत्र

अभय पांडेय जी एवं साधन जी द्वारा ग्राम पांटन एवं कौडिया का भ्रमण

16. 12.11.2005 डिण्डौरी कलेक्टर निवास पर अभय पांडेय जी एवं साधन एवं चंद्रशेखर जी की बातों 30.12.2005 डिण्डौरी में 3–5 अपरान्ह बैठक तय कलेक्टर डिण्डौरी द्वारा मीटिंग स्थगित तथा पुनः 05.12.2005 की तिथि तय।

17. 05.12.2005 को कलेक्टर सभा कक्ष में बैठक सम्पन्न कार्य समिति का गठन एवं तीन दिवसीय शिविर ग्राम कौंडिया में समिति के सदस्यों के मध्य होना तय तथा आगामी व्यवस्था का आश्वासन

लोक शक्ति योजना

प्रस्तुतकर्ता

मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

अमरकण्टक

संलग्न : मानव संचेतनावादी शिक्षा संस्कार योजना का अध्ययन क्रम.

परिचय

आज मेधावीयों में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि ऐसी लोकशक्ति तैयार हो जो स्वयं अपने समस्याओं को दूर करें एवं स्वयं ही स्थानीय प्रबंधन कार्य करें। इसके लिए स्थानीय लोगों की समिति बनाने और उन्हें अधिक अधिकार देने की चर्चा तथा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए गये हैं। पंचायती राज का सम्पूर्ण कार्यक्रम भी इसी मानसिकता के आधार पर निश्चित किया गया है।

इस बिन्दु पर हमारा निष्कर्ष यह है कि मनुष्य समझदार होकर ही उपरोक्त कार्य को कर पाता है। जब तक मनुष्य समझदार नहीं हो पाता हैं जब तक समस्या का ही कारक होता है।

समझदार मानव भोग, संग्रह, शोषण, विरोध और विद्रोह मानसिकता से मुक्त होकर न्यायपूर्ण व्यवहार करने की क्षमता सम्पन्न होता है एवं मानवीय व्यवस्था के सभी आयामों में भागीदारी करता है।

—

उद्देश्य

1. प्रत्येक व्यक्ति में समाधान, समाजिकता और स्वावलम्बन प्रमाणित होना :

(अ) समाधान का तात्पर्य स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था प्रकृति में व्यवस्था और अस्तित्व में व्यवस्था का बोध (समझ) होना.

(ब) सामाजिकता का तात्पर्य मानव संबंधों की पहचान, समाज मूल्यों का निर्वाह एवं परस्पर मूल्यांकनपूर्वक उभयतृप्ति प्रमाणित होना।

(स) स्वालम्बन का तात्पर्य प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उत्पादन और सेवा की मानसिकता एवं व्यावसायिक निपुणता–कुशलता प्रमाणित होना।

2. प्रत्येक परिवार में समृद्धि प्रमाणित होना। समृद्धि का तात्पर्य परिवार की आवश्यकता से अधिक उपयोगी वस्तुओं को उत्पादन और सेवापूर्वक प्राप्त करना।

3. समाज में अभय व सह – अस्तित्व प्रमाणित होना।

(अ) अभय का तात्पर्य स्वास्थ्य–संयम सुरक्षा, आर्थिक संसाधनों की सुरक्षा व न्याय (व्यक्ति के सम्मान) की सुरक्षा उपलब्ध होना।

(ब) सह–अस्तित्व का तात्पर्य प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना।

कार्य और परिणाम

1. स्वायत्त परिवार, स्वायत्त समाज, स्वयं स्फुर्त व्यवस्था की परंपरा।
2. ग्रामीण अंचल में बौद्धिक और भौतिक विपन्नता उन्मूलन।
3. मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि व व्यवस्था में पिछड़े व्यक्ति के लिए जागृति सहज कार्यक्रम जिससे मौलिक अधिकारों को पहचानकर कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें।
4. सामाजिक न्याय सुलभता–परस्पर तृप्ति के अर्थ में सार्थक होने का कार्यक्रम – मानव तथा मानवीयता के आधार पर समानता का अनुभव करने के लिए कार्यक्रम
5. नशा मुक्ति।
6. सामान्य रोग (ज्वर, खांसी, सर्दी, पीलीया, अर्जीण आदि) एवं विशेष रोग (दमा, चर्मव्याधि, कुष्ठ रोग, हृदय रोग, यकृत रोग, चक्त चाप आदि) निवारण ।
7. अनाथ बच्चों को मानवीय व्यवस्था में जीने योग्य कार्यक्रम।
8. देह – व्यापार मुक्ति।
9. नर–नारी में समान मौलिक अधिकार स्थापना एवं नारी उत्पीड़न का उन्मूलन।
10. कैदी और विचाराधीन बंदी के परिवार को सान्तवना व राहत कार्य।
11. जनसंख्या नियंत्रण प्रवृत्ति के उदय के लिए कार्यक्रम.
12. पर्यावरण संतुलन – जल, भूमि, वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण द्वारा।

विधि

शिक्षण व प्रशिक्षण पूर्वक पूर्वोक्त लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। सर्वप्रथम मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक द्वारा शिक्षकों को तैयार किया जाएगा। ऐसे शिक्षक स्थानीय बच्चों का नियमित शिक्षा देंगे। एवं युवा प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्तियों को "जीवन विद्या" शिविर द्वारा समाधानित, सामाजिक, स्वावलम्बी और साक्षर होने के लिए प्रशिक्षण देंगे।

सभी शिक्षक समाधानित, सामाजिक, स्वावलम्बी और साक्षर होंगे। ये शिक्षक, गण शिक्षण प्रशिक्षण के लिए वेतन नहीं लेंगे।

शिक्षक स्वावलम्बी रहकर शिक्षा प्रदान करने के लिए अभिभावक विद्यालय होगा जिससे स्वावलम्बन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होगा। इन्हीं संसाधनों का उपयोग विद्यार्थियों को स्वावलम्बन का प्रशिक्षण देने के लिए किया जायेगा।

सभी स्थानीय लोग व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य क्षमता सम्पन्न होने पर पांच समितियां बनाई जायेंगी।

(1) शिक्षा संस्कार समिति – यह समिति सभी व्यक्तियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी।

(2) न्याय–सुरक्षा समिति – क्षेत्र के सभी लोगों को न्याय सुलभ कराने एवं प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी।

(3) स्वास्थ्य संयम समिति : स्थानीय सभी लोगों के स्वास्थ्य संयम की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी।

(4) उत्पादन कार्य समिति – स्थान विशेष में उत्पादन के अवसर, संभावना तथा तकनीकी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी।

(5) विनिमय कोष समिति : शोषण मुक्त विनिमय एवं भविष्य के लिए आवश्यक वस्तुओं का कोष बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी। इन सभी समितियों के सदस्य समाधानित, सामाजिक, स्वावलम्बी एवं अवैतानिक होंगे।

इन सभी समितियों में तालमेल को सुनिश्चित करने के लिए एक सभा का गठन किया जाएगा जिसमें परिवार के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे।

अभिभावक विद्यालय

शिक्षक – प्राथमिक कक्षाओं में प्रत्येक 20 से 30 विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए एक शिक्षक का प्रावधान होगा।

संसाधन :

1. प्राथमिक शाला के छः कमरों का विद्यालय भवन।
2. न्यूनतम छः शिक्षकों को सपरिवार रहने के लिए आवासीय व्यवस्था।
3. कर्मशाला।
4. गोशाला दुधारू गाय व बैल सहित।
5. 20–25 एकड़ कृषि योग्य भूमि।
6. कृषि के सामान्य यंत्र और उपकरण।
7. जल व विद्युत की सुविधा.
8. गोबर गैस संयंत्र, सौर उर्जा, पवन शक्ति यंत्र और उपकरण।

इन संसाधनों का स्वामित्व "अभिभावक विद्यालय" का होगा। यह किसी की नीजि सम्पत्ति नहीं होगी।

विद्यालय स्थापित होने के बाद इसकी सुरक्षा व देखभाल का दायित्व शिक्षा – संस्कार समिति का होगा। स्थानीय प्रत्येक परिवार इसे बनाए रखने के लिए एक न्यूनतमराशि देकर भागीदारी का निर्वाह करेंगे।

कार्य और योजना

लोक शक्ति योजना पांच चरणो में पूरी होगी।

प्रथम चरण :-

मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक के शिक्षक शिक्षण और प्रशिक्षण पूर्वक स्थानीय शिक्षकों को तैयार करेगी। प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर सामान्यत: 5 शिक्षक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य होगा। प्रथम चरण में ही अभिभावक विद्यालय का निर्माण पूरा होगा।

अनुमानित समय – एक वर्ष

द्वितीय चरण :-

प्रशिक्षित शिक्षक एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक के शिक्षक साथ मिलकर स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करेगें।

(अ) शाला में विद्यार्थियों को नियमित शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 तक) दी जाएगी। प्रथम वर्ष में एक साथ कक्षा एक और दो प्रारम्भ किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष एक–एक कक्षा बढाते हुए 4 वर्षो में कक्षा 5 तक शिक्षण कार्य सम्पन्न होगा।

(ब) शिक्षक गण स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित करेगे। क्षेत्र के प्रत्येक निवासी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रहेगा।

अनुमानित समय – 2 ½ वर्ष

तृतीय चरण :-

स्थानीय प्रशिक्षित लोक शक्ति, प्रशिक्षित शिक्षक और मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अरमकण्टक के शिक्षक मिलकर निम्न दो समितियों का गठन करेगें।

1) न्याय सुरक्षा समिति   2) स्वास्थ्य संयम समिति

(प्रथम चरण के बाद ही शिक्षकों के रूप में शिक्षा संस्कार समिति कार्यरत हो पाएगी)।

अनुमानित समय – 1 वर्ष

चतुर्थ चरण :- पांचों समितियों और मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पूर्व में निर्धारित तीनों समितियों एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अमरकण्टक के शिक्षक मिलकर निम्न दो समितियों का गठन करेगें।

1) उत्पादन कार्य समिति

2) विनिमय कोष समिति

अनुमानित समय – एक वर्ष

पंचम चरण :- पाँचों समितियों एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक के शिक्षक मिलकर 'स्थानीय सभा' का गठन करेगें। स्थानीय सभा व पांचो समितियों के सदस्य मिलकर व्यवस्था का सम्पूर्ण कार्य स्वयं स्फुर्त विधि से करेगें।

मूल्यांकन

– मूल्यांकन पांच बिन्दु पर किए जाएगें :–

1. शिक्षा संस्कार
2. स्वास्थ्य संयम
3. न्याय सुरक्षा
4. उत्पादन कार्य
5. विनिमय कोष

अभियान शुरू होने के पहले सभी बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त कर लिया जाएगा एवं 1 वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के पश्चात 4 वर्ष के पश्चात एवं 5 वर्ष के पश्चात, मूल्यांकन किया जाएगा।

01. **मानवीय शिक्षा – संस्कार :–**

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा।

1. मानवीय शिक्षा – संस्कार शिक्षण में प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या।
2. लोगों में साक्षरता व सामान्य जानकारी।

मूल्यांकन का आधार :–

मानवीय शिक्षा संस्कार में पारंगत व्यक्ति स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, प्रकृति में व्यवस्था एवं अस्तित्व में व्यवस्था की समझ से सम्पन्न होते है एवं ऐसी समझ के अनुसार जीने में प्रमाणित होते है।

02. **स्वास्थ्य संयम :–**

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा :–

1. रोगों के प्रकार व रोगी की संख्या।
2. स्थानीय चिकित्सा से ठीक हुए रोग व रोगी की संख्या।
3. बाहय चिकित्सा से स्वस्थ हुए रोग व रोगी की संख्या।
4. चिकित्सा अभाव से पीडित व मृत व्यक्तियों की संख्या।
5. सामान्य चिकित्सा से पारंगत स्थानीय व्यक्ति व परिवारों की संख्या।
6. विशेष चिकित्सा से पारंगत स्थानीय व्यक्ति व परिवारों की संख्या।
7. पर्यावरण स्वच्छत

03. **न्याय सुरक्षा :–**

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांक किया जाएगा :–

1. परिवार में सम्बन्धो का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या।
2. परिवार की सम्पदा का सदुपयोग करने योग्य व्यक्तियों की संख्या।
3. परस्पर परिवारो के बीच सम्बन्धो का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या।
4. जुआ एवं परधन में प्रयासरत लोगों की संख्या।
5. परनारी/परपुरूष प्रवृत्ति व कार्यो में लिप्त व्यक्तियों की संख्या।
6. परिवार कलह से पीडित व्यक्तियों की संख्या।
7. ग्राम कलह (जमीन, आवास, सड़क, पानी, पशु नियंत्रण व घरेलू अशुद्धियों को फेंकने के आधार पर होने वाले विवाद) से पीडित व्यक्तियों की संख्या।

8. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो गांव में सुलझे।

9. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो गांव के बाहर सुलझ गये।

10. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो अब तक अनसुलझे है।

11. विपन्न (गरीब) व्यक्ति व परिवारों की संख्या।

12. जनसंख्या एवं उसका नियंत्रण (जन्म दर, मृत्यु दर व अन्य स्थानो से आने वाले या अन्य स्थानो में गये व्यक्तियों की संख्या)।

13. प्राकृतिक संतुलन (जल, वन, भूमि, औषधि व चारागाह का संरक्षण)।

04. <u>उत्पादन कार्य :-</u>

मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाएगा :-

1. श्रम नियोजित करने के लिए मानसिकता से सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या।

2. श्रम नियोजन के लिए कार्यो को पहचाने हुए व्यक्तियों की संख्या।

3. निश्चित उत्पादन व सेवा की तकनीकी सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या।

4. उत्पादन में भागीदारी करते हुए व्यक्तियों की संख्या।

5. परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन व सेवा करते हुए परिवारों की संख्या।

6. गांव की कुल आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने का मूल्यांकन।

7. उत्पादन व सेवा से विमुख व्यक्तियों की संख्या।

8. न चाहते हुए भी मजबूरी वश उत्पादन व सेवा करने वाले व्यक्तियों की संख्या।

05. विनिमय कोष :–

मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाएगा :–

1. श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय करने की प्रवृत्ति सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या।
2. श्रम मूल्य के आधार पर प्रतीक मूल्यों की पहचान।
3. लाभ – हानि मुक्त विनिमय प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले लोगों की संख्या।
4. गांव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनिवार्य वस्तुओं के कोष का मूल्यांकन।
5. लाभ – हानि मानसिकता से ग्रसित व्यक्तियों व परिवारों की संख्या।

शिक्षा स्त्रोत

सम्पूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण का स्त्रोत मध्यस्थ–दर्शन (सह–अस्तित्ववाद) रहेगा। इसके प्रणेता श्री ए.नागराज, अमरकण्टक है।

यह दर्शन चार भागों में है – 1) मानव व्यवहार दर्शन 2) मानव कर्म दर्शन 3) मानव अभ्यास दर्शन 4) मानव अनुभव दर्शन

दर्शन के अनुसार सह–अस्तित्ववादी विचार तीन भागों में प्रस्तुत है –

1. समाधानात्मक भौतिकवाद
2. व्यवहारात्मक जनवाद
3. अनुभवात्मक अध्यात्मवाद

दर्शन और विचारो के आधार पर तीन शास्त्र प्रस्तुत है –

1. मानव संचेतनवादी मनोविज्ञान
2. आवर्तनशील अर्थशास्त्र
3. व्यवहारवादी समाजशास्त्र

दर्शन शास्त्र व शास्त्रों के आधार पर तीन योजनांए प्रस्तुत है –

1. जीवन विद्या योजना
2. मानव संचेतनावादी शिक्षा संस्कार योजना
3. परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना

प्रति

श्री मनोज झलानी
आयुक्त
पंचायत एवं समाज कल्याण
मध्यप्रदेश शासन
भोपाल

विषयः परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था योजना के तहत कार्ययोजना, प्रस्ताव, सहमति एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया।

महोदय,

मध्यप्रदेश शासन की मंशा के अनुकूल ग्राम स्वराज व्यवस्था को सफल और प्रमाणित करने की संभावनाओं की पहचान के लिये 25-26 जुलाई, 2003 को भोपाल में आपके द्वारा विचार गोष्ठी एवं बैठक का आयोजन किया गया। गोष्ठी में ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के क्रियान्वयन, सम्भावना एवं उद्देश्य की पूर्ति में आने वाले व्यवधान, समस्या के विभिन्न पक्षों पर चर्चा की गई। साथ ही पंचायत राज व्यवस्था को सफल करने और प्रमाणित करने की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में यह पहचानने का भी प्रयास किया गया कि ग्राम स्वराज को प्रमाणित करने की कार्ययोजना की रूपरेखा क्या होगी तथा उसके क्रियान्वयन के क्या चरण होंगे इस पर भी चर्चा हुई।

गोष्ठी में इस चिंता पर भी चर्चा हुई कि पंचायत राज व्यवस्था और ग्राम स्वराज व्यवस्था के क्रियान्वयन के ~~कारण~~ में ग्राम पंचायतों एवं ग्राम समाज में बढ़ने वाले बैर-विरोध, आपाधापी प्रवृत्ति से कैसे

निपटा जाये। ऐसा क्या किया जाये ताकि मानव परस्परता में समाधानपूर्वक और सह-अस्तित्व के साथ जी सके।

इसी प्रकार सरकार ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों को स्वायत्त एवं स्वावलंबी बनाना चाहती है जबकि ग्राम पंचायतें सरकार से पैसे की अपेक्षा रखती हैं इसे ही अपना अधिकार मानती हैं, इस विरोधाभास से कैसे निपटा जाये। चर्चा के उपरांत प्रारम्भिक सहमति यह बनी कि सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के शिक्षण प्रशिक्षण से समस्या का समाधान निकलता है। परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था की समझ सम्पन्नता और कार्य-व्यवहार के स्तर पर कार्य किया जाना चाहिये तभी ग्राम स्वराज सफल और प्रमाणित हो सकेगा।

सह-अस्तित्ववादी दृष्टिकोण का अर्थ है कि मानव परस्परता में जाति, वर्ग, सम्प्रदाय मुक्त विधि से जीने का ज्ञान, विवेक-विज्ञान पूर्ण कार्य-व्यवहार। सह-अस्तित्व वादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवारमूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था का स्वरूप इस प्रकार से है कि (1) हर गांव में मानवीय शिक्षा का प्रावधान (2) सभी के लिये न्याय-सुरक्षा सुलभ करने का प्रस्ताव (3) उत्पादन-कार्य सर्व सुलभ होने के प्रावधान (4) लाभ-हानि मुक्त विनिमय का प्रावधान (5) स्वास्थ्य-संयम क्रियाकलाप हर परिवार में सुलभ हो।

गोष्ठी में संविधान मानसिकता, शासन मानसिकता और आमजन मानसिकता के साम्य बिन्दु, भिन्न बिंदु पर भी चर्चा हुई। संविधान मानसिकता को समानता और धर्म निरपेक्षता के रूप में पहचाना गया। राज्य शासन मानसिकता को पंचायत राज व ग्राम स्वराज व्यवस्था को सफल बनाने के अर्थ में पहचाना गया। आमजन

मानसिकता को संग्रह-सुविधा के स्थान पर समाधान-समृद्धि के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता को पहचाना गया। इन तीनों बिन्दुओं में साम्य और मिलन बिन्दु को 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था' में देखा गया है। परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था में शासन की योजना ग्राम स्वराज व्यवस्था की सफलता पूरी होती दिखती है।

'लोकशक्ति योजना' एवं 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज योजना' का मूल एवं विस्तृत प्रस्ताव संलग्न है। इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरांत शासन के साथ दो स्तरों पर कार्य करने की आपकी सहमति बनी।

(I) चयनित ग्रामों में : कुछ चयनित ग्राम पंचायतों के स्तर पर ग्राम स्वराज के सभी आयामों (शिक्षा-संस्कार, उत्पादन-कार्य, न्याय-सुरक्षा, स्वास्थ्य-संयम, विनिमय-कोष आदि) पर समझ का लोकव्यापीकरण एवं कार्य-व्यवहार को प्रमाणित करना।

(II) राज्य स्तर पर : राज्य स्तर पर परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था योजना की अवधारणा में ग्राम-सभा के सदस्यों, अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।

ग्राम स्तर पर ग्राम स्वराज्य को प्रमाणित करने के लिये क्रियान्वयन प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

क्रियान्वयन की विधि एवं चरण

(i) शिक्षण : सर्वप्रथम ग्राम के प्रत्येक तबके की सहमति प्राप्त करना। ग्राम स्वराज व्यवस्था में भागीदारी करने

के लिये हर व्यक्ति में स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, स्वयं के प्रतिभा में विश्वास अर्थात समझदारी में विश्वास, स्वयं के व्यक्तित्व में विश्वास, मानवीयतापूर्ण आहार-विहार - व्यवहार में विश्वास, व्यवहार में सामाजिक होने में विश्वास और प्रमाण का शिक्षण-प्रशिक्षण। उत्पादन कार्य में (व्यवसाय में) परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन में विश्वास को स्थापित करना। इसके लिये शिक्षा प्रदान करना लक्ष्य और आशय रहेगा। इन सभी तथ्यों को पढ़े-लिखे और निरक्षर लोगों को समझाना।

(ii) उत्पादन कार्य के लिये संभावना को पहचानना हर परिवार का स्वावलंबन होने के लिये पर्याप्तता के आधार पर आंकलन।

(iii) प्रत्येक मनुष्य में परिवार की आवश्यकता को पहचानने की प्रक्रिया का बोध कराना। इसकी सफलता के लिये शिक्षण (लोकशिक्षण) सुनिश्चित करना। जिसका प्रमाण ऊपर इंगित किये गये मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रमाण पर आधारित है।

<u>क्रियान्वयन के पूर्व की प्रक्रिया</u>

सर्वेक्षण विधि से ऐसी ग्राम पंचायतों को चिन्हित करना जहाँ पर परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को लोकव्यापी एवं प्रमाणित करना है।

उपरोक्त दो स्तरों पर कार्य को सम्पन्न करने के क्रम में यह उपयोगी होगा कि परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था योजना के आधार पर काम करने के लिये दो समितियों का गठन किया जाना चाहिये।

(i) सलाहकार समिति (Advisory Committee)

(ii) कार्य समिति (Working Group).

आपकी लिखित सहमति के उपरांत इन समितियों के सदस्यों के नाम सुझाये जा सकेंगे।

जिन दो स्तरों पर कार्य करने की सहमति बनी है उनके क्रियान्वयन का विस्तृत विवरण आगे आपकी सहमति के बाद प्रस्तुत किया जायेगा।

(ए. नागराज)
प्रणेता मध्यस्थ दर्शन
(सह अस्तित्ववाद)
संस्थापक
दिव्य पथ संस्थान
नर्मदा मंदिर के सामने
अमरकंटक, जिला शहडोल
फोन: 07629-269407

संलग्न :-

(i) लोक शक्ति योजना।

(ii) परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था योजना।

ग्राम स्वराज
(लोक शक्ति योजना)

प्रस्तुतकर्ता
मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान
अमरकण्टक

संलग्न : मानव संचेतनावादी शिक्षा संस्कार योजना का अध्ययन क्रम

ग्राम स्वराज-- लोक शक्ति योजना

परिचय

आज मेधावीयों में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि ऐसी लोकशक्ति तैयार हो जो स्वयं अपनी समस्याओं को दूर करें एवं स्वयं ही स्थानीय प्रबंधन कार्य करे । इसके लिये स्थानीय लोगों की समितियां बनायें और उन्हें अधिक अधिकार देने की चर्चा तथा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए गये हैं । पचायती राज ग्राम स्वराज का सम्पूर्ण कार्यक्रम भी इसी मानसिकता के आधार पर निश्चित किया गया है ।

इस बिन्दु पर [illegible] कि मनुष्य समझदार होकर ही उपरोक्त कार्य को कर पाता है । जब तक मनुष्य समझदार नहीं हो पाता है तब तक समस्या का ही कारक होता है । समझदार मानव भोग, संग्रह, शोषण, विरोध और विद्रोह मानसिकता से मुक्त होकर सम्पूर्ण व्यवहार करने की क्षमता सम्पन्न होता है एवं मानवीय व्यवस्था के सभी आयामों में भागीदारी करता है

कार्य और परिणाम :-

1. स्वायत्त परिवार, स्वायत्त [illegible] की परम्परा ।
2. ग्रामीण अंचल में बौद्धिक और [illegible] विपन्नता उन्मूलन ।
3. मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि व व्यवस्था में पिछड़ व्यक्ति के लिये जागृति सहज कार्यक्रम जिससे मौलिक अधिकारों को पहचानकर कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें ।
4. सामाजिक न्याय सुलभता-परस्पर तृप्ति के अर्थ में सार्थक होने का कार्यक्रम- मानव तथा मानवीयता के आधार पर समानता का अनुभव करने के लिये कार्यक्रम ।
5. नशा मुक्ति ।
6. सामान्य रोग (ज्वर, खासी, सर्दी, पालीया, अजीर्ण आदि) एवं विशेष रोग (दमा, चर्मव्याधि, कुष्ठ रोग, हृदय रोग, [illegible], रक्तचाप आदि, निवारण ।
7. [illegible] आयोजन । [illegible]
8. [illegible] मुक्ति
9. नर-नारी में समान मौलिक अधिकार स्थापना एवं नारी उत्पीड़न का उन्मूलन ।
10. कैदी और विचाराधीन बंदी के परिवार को सान्त्वना व राहत कार्य ।
11. जनसंख्या नियंत्रण प्रवृत्ति के उदय के लिये कार्यक्रम ।
12. पर्यावरण संतुलन- जल, भूमि, वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण द्वारा ।

उद्देश्य

1. प्रत्येक व्यक्ति में समाधान, सामाजिकता और स्वालम्बन प्रमाणित होना :–

(अ) समाधान का तात्पर्य स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था प्रकृति में व्यवस्था और अस्तित्व में व्यवस्था का बोध (समझ) होना ।

(ब) सामाजिकता का तात्पर्य मानव संबंधों की पहचान, समाज मूल्यों का निर्वाह एवं परस्पर मूल्यांकन पूर्वक उभयतृप्ति प्रमाणित होना ।

(स) स्वालम्बन का तात्पर्य प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उत्पादन और सेवा की मानसिकता एवं व्यवसायिक निपुणता–कुशलता प्रमाणित होना ।

2. प्रत्येक परिवार में समृद्धि प्रमाणित होना । समृद्धि का तात्पर्य परिवार की आवश्यकता से अधिक उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन और सेवापूर्वक प्राप्त करना ।

3. समाज में अभय व सह–अस्तित्व प्रमाणित करना ।

(अ) अभय का तात्पर्य स्वास्थ्य–संयम सुरक्षा, आर्थिक संसाधनों की सुरक्षा व न्याय (व्यक्ति के सम्मान) की सुरक्षा उपलब्ध होना ।

(ब) सह–अस्तित्व का तात्पर्य संतुलन को बनाए रखना ।

विधि

शिक्षण व प्रशिक्षण पूर्वक पूर्व उल्लेखित लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा । सर्वप्रथम मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक द्वारा शिक्षकों को तैयार किया जाएगा, ऐसे शिक्षक स्थानीय बच्चों का नियमित शिक्षा देंगें एवं युवा प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्तियों को "जीवन विद्या" शिविर द्वारा समाधानित, स्वावलम्बी और साक्षर होने के लिये प्रशिक्षण देंगें । सभी शिक्षक समाधानित, सामाजिक, स्वावलम्बी और साक्षर होंगे । ये शिक्षकगण शिक्षण प्रशिक्षण के लिये वेतन नहीं लेंगे ।

शिक्षक स्वावलम्बी रहकर शिक्षा प्रदान करने के लिये अनिभावक विद्यालय होगा जिससे स्वावलम्बन के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध होगा । इन्हीं संसाधनों का उपयोग विद्यार्थियों को स्वालम्बन का प्रशिक्षण देने के लिये किया जायेगा । सभी स्थानीय लोग व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य क्षमता सम्पन्न होने पर पाच समितियां बनाई जायेंगी ।

(1) शिक्षा संस्कार समिति – यह समिति सभी व्यक्तियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी ।

(2) न्याय–सुरक्षा समिति – यह सभी लोगों का न्याय सुलभ कराने एवं प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी ।

(3) स्वास्थ्य संयम समिति – स्थानीय सभी लोगों के स्वास्थ्य संयम की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी ।

(4) उत्पादन कार्य समिति – स्थान विशेष में उत्पादन के अवसर, संभावना तथा तकनीकी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी

(5) विनिमय कोष समिति – शोषण मुक्त विनिमय एवं भविष्य के लिये आवश्यक वस्तुओं का कोष बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी । इन सभी समितियों के सदस्य समाधानित, सामाजिक स्वावलम्बी एवं अंदेतानिक होंगें ।

इन सभी समितियों में तालमेल को सुनिश्चित करने के लिये एक सभा का गठन किया जाएगा जिसमें परिवार के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे ।

अभिभावक विद्यालय

शिक्षक :– प्राथमिक कक्षाओं में प्रत्येक 20 से 30 विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिये एक शिक्षक का प्रावधान होगा।

संसाधन :–

1. प्राथमिक शाला के छः कमरों का विद्यालय भवन।
2. न्युनतम छः शिक्षकों का सपरिवार रहने के लिए आवासीय व्यवस्था।
3. कर्मशाला
4. गौशाला दुधारू गाय बैल सहित।
5. 20–25 एकड कृषि योग्य भूमि ।
6. कृषि के सामान्य यंत्र और उपकरण।
7. जल व विद्युत की सुविधा।
8. गोबर गैस संयंत्र और ऊर्जा, पवन शक्ति यंत्र और उपकरण।

इन संसाधनों का स्वामित्व " अभिभावक विद्यालय" का होगा। यह किसी की निजी सम्पत्ति नही होगी।

विद्यालय स्थापित होने के बाद इसकी सुरक्षा व देखभाल का दायित्व शिक्षा–संस्कार समिति का होगा। स्थानीय प्रत्येक परिवार इसे बनाए रखने के लिए एक न्युनतम राशि देकर भागीदारी का निर्वाह करेंगे।

कार्य और योजना

लोक शक्ति योजना पांच चरणों में पूरी होगी।

प्रथम चरण :–

मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकंटक के शिक्षण और प्रशिक्षण पूर्वक स्थानीय शिक्षकों को तैयार करेगा। प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर समान्यतः 5 शिक्षक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य होगा। प्रथम चरण में ही अभिभावक विद्यालय का निर्माण पूरा होगा।

अनुमति समय – [illegible]

द्वितीय चरण :–

प्रशिक्षित शिक्षक एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकंटक के शिक्षक के साथ मिलकर स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करेंगें।

(अ) शाला में विद्यार्थियों को नियमित शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 तक) दी जायेगी। प्रथम वर्ष में कक्षा एक प्रारंभ किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष एक–एक कक्षा बढ़ाते हुए 5 वर्षों में कक्षा 5 तक शिक्षण कार्य संम्पन्न होगा।

(ब) शिक्षकगण स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित करेंगें। क्षेत्र के प्रत्येक-निवासी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य होगा।

अनुमति समय – [illegible]

तृतीय चरण :–

स्थानीय प्रशिक्षक [illegible] प्रशिक्षित शिक्षक और मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक के शिक्षक मिलकर निम्न दो समितियों का गठन करेंगें :–

1. न्याय सुरक्षा समिति
2. स्वास्थ्य संयम समिति

(प्रथम चरण के बाद ही शिक्षकों के रूप में शिक्षा संस्कार समिति कार्यरत हो पाएगी।)

अनुमति समय – 1 वर्ष

चतुर्थ चरण :–

पूर्व में निर्धारित तीनों समितियां एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक के शिक्षक मिलकर निम्न दो समितियों का गठन करेंगें।

1. उत्पादन कार्य समिति
2. विनिमय कोष समिति

अनुमति समय – [illegible]

पंचम चरण :–

पांचों समितियां एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक के शिक्षक मिलकर "स्थानीय सभा" का गठन करेंगें। स्थानीय सभा व पांचों समितियां के सदस्य मिलकर व्यवस्था का सम्पूर्ण कार्य स्वयं स्फुर्त विधि से करेंगें।

मूल्यांकन

मूल्यांकन पांच बिन्दु पर किए जायेंगे :–

1. शिक्षा संस्कार
2. स्वास्थ्य संयम
3. न्याय सुरक्षा
4. उत्पादन कार्य
5. विनिमय कोष

अभियान शुरू होने के पहले सभी बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त कर लिया जाएगा एवं 1 वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के पश्चात, 4 वर्ष के पश्चात् एवं 5 वर्ष के पश्चात, मूल्यांकन किया जाएगा ।

01. मानवीय शिक्षा–संस्कार :–

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा ।

1. मानवीय शिक्षा – संस्कार शिक्षण में प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या ।
2. लोगों में साक्षरता व सामान्य जानकारी ।

मूल्यांकन का आधार :–

मानवीय शिक्षा संस्कार में पारंगत व्यक्ति स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, प्रकृति में व्यवस्था एवं अस्तित्व में व्यवस्था की समझ से सम्पन्न होते हैं एवं ऐसी समझ के अनुसार जीने में प्रमाणित होते हैं ।

02. स्वास्थ्य संयम :–

निम्न बिन्दुओं पर मूल्याकन किया जाएगा :–

1. रोगों के प्रकार व रोगी की संख्या ।
2. स्थानीय चिकित्सा से ठीक हुए रोग व रोगी की संख्या ।
3. बाह्य चिकित्सा से स्वस्थ हुए रोग व रोगी की संख्या ।
4. चिकित्सा अभाव से पीड़ित व मृत व्यक्तियों की संख्या ।
5. सामान्य चिकित्सा से पारंगत स्थानीय व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।

6. विशेष चिकित्सा से पारंगत स्थानीय व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।
7. पर्यावरण स्वच्छता ।

03. न्याय सुरक्षा :–

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा :–

1. परिवार में सम्बंधों का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।
2. परिवार में सम्पदा का सदुपयोग करने योग्य व्यक्तियों की संख्या ।
3. परस्पर परिवारों के बीच सम्बन्धों का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।
4. जुआ एवं परधन में प्रयासरत लोगों की संख्या ।
5. परनारी/परपुरूष प्रवृत्ति व कार्यों में लिप्त व्यक्तियों की सख्या ।
6. परिवार कलह से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या ।
7. ग्राम कलह (जमीन, आवास, सड़क, पानी, पशु नियंत्रण, व घरेलू अशुद्धियों को फेंकने के आधार पर होने वाले विवाद) से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या ।
8. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो गांव में सुलझे ।
9. कलह के बिन्दुओं की सख्या जो गांव के बाहर सुलझ गये ।
10. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो अब तक अनसुलझे हैं ।
11. विपन्न (गरीब) व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।
12. जनसंख्या एवं उसका नियत्रण (जन्म दर, मृत्यु दर व अन्य स्थानों से आने वाले या अन्य स्थानों में गये व्यक्तियों का संख्या)
13. प्राकृतिक संतुलन (जल, वन, भूमि, औषधि व चारागाह का संरक्षण) ।

04. उत्पादन कार्य :–

मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाएगा :–

1. श्रम नियोजित करने के लिये मानसिकता से सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
2. श्रम नियोजन के लिये कार्यों को पहचाने हुए व्यक्तियों की संख्या ।
3. निश्चित उत्पादन व सेवा की तकनीकी सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
4. उत्पादन में भागीदारी करते हुए व्यक्तियों की संख्या ।

5. परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन व सेवा करते हुए परिवारों की संख्या ।
6. गांव की कुल आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने का मूल्यांकन ।
7. उत्पादन व सेवा से विमुख व्यक्तियों की संख्या ।
8. न चाहते हुए भी मजबूरीवश उत्पादन व सेवा करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।

05. विनिमय कोष :–

मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाएगा :–

1. श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय करने की प्रवृत्ति सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
2. श्रम मूल्य के आधार पर प्रतीक मूल्यों की पहचान ।
3. लाभ–हानि मुक्त विनिमय प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले लोगों की संख्या ।
4. गांव की आवश्यकता की पूर्ति के लिये अनिवार्य वस्तुओं के कोष का मूल्यांकन ।
5. लाभ–हानि मानसिकता से ग्रसित व्यक्तियों व परिवारों की संख्या ।

शिक्षा स्रोत

सम्पूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण का स्रोत मध्यस्थ–दर्शन (सह–अस्तित्ववाद) रहेगा । इसके प्रणेता श्री ए. नागराज, अमरकण्टक हैं ।

यह दर्शन चार भागों में है –

(1) मानव व्यवहार दर्शन (2) मानव कर्म दर्शन (3)मानव अभ्यास दर्शन(4) मानव अनुभव दर्शन

के अनुसार सह–अस्तित्ववादी विचार तीन भागों में प्रस्तुत है –

1. समाधानात्मक भौतिकवाद
2. व्यवहारात्मक जनवाद
3. अनुभवात्मक अध्यात्मवाद

दर्शन और विचारों के आधार पर तीन शास्त्र प्रस्तुत है –

1. मानव संचेतनवादी मनोविज्ञान
2. आवर्तनशील अर्थशास्त्र
3. व्यवहारवादी समाजशास्त्र

दर्शन विचारों व शास्त्रों के आधार पर तीन योजनाएं प्रस्तुत हैं –

1. जीवन विद्या योजना
2. मानव संचेतनावादी शिक्षा संस्कार योजना
3. परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना

अध्ययन वस्तु/कक्षा	एक	दो	तीन	चार	पांच
1. गानव संबघ	संबंध एवं मूल्यों का सम्बोधन	संबंध एवं मूल्यों की पहचान	संबंधों व मूल्यों का निश्चयन	संबंधो व मूल्यों का निर्वाह	संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह मूल्यांकन व उभयतृप्ति का प्रमाण
2. नैसर्गिक संबंध	इकाईयों का संबोधन	क्रिया–कलाप के रूप में इकाईयों का पहचान	नाम के साथ इकाईयों की उपयोग की पहचान	संतुलन के रूप में उपयोगिता की पहचान	सभी अवस्थाओं में परस्पर पूरकता की पहचान
3. अस्तित्व में सह–अस्तित्व	अस्तित्व का संबोधन	सह–अस्तित्व की पहचान, स्वीकृति	इकाईयों में क्रियाशील एवं सत्ता, क्रियाशून्यता में व्यापकता	इकाईयों की क्रियाशीलता एवं नियंत्रण	इकाईयों में परस्पर पूरकता, रचना, विरचना व विकास
4. जीवन का स्वरूप	जीवन के बल, शक्तियों का नाम	जीवन शक्तियों (आशा, विचार व इच्छा) की पहचान	चयन, आस्वादन, तुलन विश्लेषण क्रिया की पहचान	चिंतन व चित्रण क्रिया की पहचान	बोध, अनुभव, संकल्प व प्रामणिकता की पहचान एवं सुख
5. शरीर और स्वास्थ्य संयम	शरीर के अंग प्रत्यंगों का सम्बोधन व पहचान	शरीर के अंग प्रत्यंगों की प्रयोजन एवं उनकी स्वच्छता	शरीर के ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों के क्रियाकलापों की पहचान, जीवन क्रिया से संबंध	शरीर स्वास्थ्य संयम विधि एवं आंतरिक अवयवों की पहचान	जागृति के अर्थ में शरीर के प्रयोग की पहचान
6. खेल एवं कर्माभ्यास	खेल एवं कर्माभ्यासों का नाम	खेलों के स्वरूप की पहचान कर्माभ्यास के स्वरूप की पहचान	खेलों का प्रयोजन, कर्माभ्यास का प्रयोजन	खेल का अभ्यास कर्माभ्यास का प्रशिक्षण प्रयोग विधि प्रयोग विधि	खेल, आसन, व्यायाम, प्रणायाम का अभ्यास प्राथमि उपचार, कर्माभ्यास औषधियों का कर्माभ्यास